कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक 4.4.2012 को राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति (बायो इनर्जी) की बैठक का कार्यवृत्त

स्थानः सभाकक्ष, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन

समयः सायं 4.00 बजे

उपस्थितिः संलग्न।

प्रदेश में बायो इनर्जी सेक्टर के समयबद्व एवं प्रभावी विकास के उद्देश्य से गठित ''राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति'' की प्रथम बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में पूर्व घोषित एजेन्डे के अनुसार आयोजित हुई। बैठक में लिये गये निर्णय एवं उससे सम्बन्धित प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैः–

एजेन्डा सं0–1

वर्ष 2012 हेतु जेट्रोफा/करंज बीज का क्रय मूल्य निर्धारण। इसके अलावा अन्य माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस, जिससे बायोडीजल बनाया जा सकता है, के संग्रहण की प्रक्रिया तथा क्रय मूल्य का निर्धारण।

कार्यवाहीः

''बायोडीजल वेल्यू चेन परियोजना'' के संचालन हेतु कार्यरत पब्लिक सेक्टर की तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में बायोडीजल का मूल्य रू0 32.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0 578/35–1–2008 दिनांक 25 मार्च, 2008 के बिन्दु सं0–7 के क्रम में इसके मूल्य का पुनः निर्धारण किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जेट्रोफा/करंज बीजोत्पाद के क्रय मूल्य संबंधित वर्ष में भारत सरकार द्वारा घोषित बायोडीजल मूल्य का कम से कम 20 प्रतिशत अवश्य होना चाहिए। तदनुसार जेट्रोफा/करंज बीजोत्पाद का क्रय मूल्य न्यूनतम रू0 6.50 प्रति किलोग्राम होना चाहिए। कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने उक्त दर पर अपनी सहमति प्रदान की। इसी क्रम में बायोडीजल उत्पादन हेतु अखाद्य प्रकृति के अन्य ट्री बोर्न आयॅल सीड्स (माइनर फारेस्ट प्रोडयूस) जैसेः– नीम, महुआ इत्यादि जिससे बायोडीजल उत्पादन किया जा सकता है, की वर्तमान उपलब्धता के बारे में कृषि उत्पादन आयुक्त ने वन विभाग को निर्देशित किया कि वे शीघ इस संबंध में सूचना इकत्रकर बायो इनर्जी मिशन सेल को उपलब्ध करा दें ताकि संबंधित पेट्रोलियम कम्पनियों के समन्वय से इसका व्यवसायिक उपयोग किया जा सके। इस प्रस्तावित व्यवस्था से बीजोत्पाद संग्रहण के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर सीजनल रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किये जाने में भी सहयोग प्राप्त होगा। इसी क्रम में बायोटेक पार्क, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकार के माइनर फारेस्ट प्रोडयूस संग्रहण हेतु कोई संस्थागत व्यवस्था भी शीघ्र सृजित कर लेनी चाहिए ताकि संबंधित ग्रामीणों के समक्ष उठने वाली विधिक समस्याओं से भी छुटकारा प्राप्त हो सके।

(कार्यवाहीः बायो इनर्जी मिशन सेल, वन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, बी0आर0ई0एल0, इण्डियन ऑयल रूचि बायोफयूल एल0एल0पी0)

एजेण्डा सं0–2

''बायोडीजल वेल्यू चेन परियोजना'' के समयबद्व संचालन, मानीटरिंग एवं फालोअप हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''जिला स्तरीय बायो इनर्जी समिति का गठन।

कार्यवाहीः

''बायोडीजल वेल्यू चेन परियोजना'' के समयबद्व संचालन, मानीटरिंग एवं फालोअपस् हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''जिला जैव ऊर्जा समिति'' के गठन का निर्णय लिया गया। इस समिति में प्रभागीय वनाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, परियोजना अधिकारी–यू0पी0नेडा, संबंधित कम्पनियों के जनपद स्तरीय अधिकारी तथा सम्बन्धित जनपद के बायो इनर्जी मिशन सेल द्वारा प्रशिक्षित किसान/युवा पदेन सदस्य के रूप में होंगे। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण इस समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। उक्त समिति के गठन का नोटीफिकेशन शीघ्र जारी करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।

(कार्यवाहीःबायो इनर्जी मिशन सेल)

एजेण्डा सं0–3

बायो एथेनाल उत्पादन हेतु प्रदेश के रेनफेड क्षेत्रों में स्वीट sorghum का उत्पादन ''प्रो– पुअर पावर काप'' के रूप में डी0एस0आर0 हैदराबाद की तकनीकी के आधार पर बढ़ावा देने पर विचार–विमर्श।

कार्यवाहीः

पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए एलकोहलयुक्त पेट्रोल के उत्पादन पर काफी जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा घोषित मानक के अनुसार वर्तमान में 10 प्रतिशत एनहाइड्रस एथेनाल (एबसलूट एल्कोहल) पेट्रोल में ब्लेण्ड किये जाने की शासकीय बाध्यता है किन्तु गन्ना आधारित उत्पादित अल्कोहल के विभिन्न लाभकारी उपयोगों को देखते हुए पेट्रोल में ब्लेण्डिंग हेतु 5 प्रतिशत मात्रा की पूर्ति के लिए एनहाइड्रस एथेनाल की वांछित मात्रा भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है । इस परिप्रेक्ष्य में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने कहा कि स्वीट sorghum आधारित एनहाइड्रस एथेनाल उत्पादन की परियोजना काफी महत्वपूर्ण प्रतीत हो रही है। इस सम्बन्ध में आवश्यक अध्ययन करने हेतु एक कार्यदल गठित करने तथा स्वीट sorghum के कृषिकरण हेतु पाइलट परियेाजना तत्काल संचालित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

(कार्यवाहीः कृषि विभाग,आबकारी विभाग,गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग,बायोटेक पार्क, तथा बायो इनर्जी मिशन सेल)

एजेन्डा सं0–4

यूनीसेफ–बायो इनर्जी मिशन सेल के तकनीकी समन्वय पर आधारित ''कचरा लाओ बायोगैस ले जाओ'' कार्यक्रम की व्यक्तिगत इकाइयों की स्थापना संपूर्ण स्वच्छता अभियान के ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन मद से किये जाने पर विचार विमर्श।

कार्यवाहीः

संपूर्ण स्वच्छता अभियान को ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के स्थायी साधन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बायो इनर्जी मिशन सेल तथा यूनीसेफ द्वारा ''कचरा लाओ बायो गैस ले जाओ'' नाम से एक माडल विकसित किया गया। इसके अन्तर्गत पंचायतों में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के सड़ने योग्य कचरे का सुनियोजित निस्तारण करते हुए खाना बनाने तथा प्रकाश हेतु बायोगैस की पाइप/सिलेण्डर के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार की दो माडल इकाईया प्रदेश के दो विभिन्न जनपदों में वर्ष 2007–08 से नियमित रूप से संचालित है। विशेष सचिव पंचायती राज ने कहा कि इस अनुभव के आधार पर राज्य स्वच्छता मिशन द्वारा इस प्रकार का माडल प्रत्येक जनपद में स्थापित करने का निर्णय भी लिया जा चुका है। इस बीच क्षेत्रीय स्तर पर कार्य के कियान्वयन के दौरान अनुभव किया गया कि ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भूमि की स्थिति गांव से इतनी दूर है कि परियोजना की लागत तथा उसकी प्रभाविता दोनों ही प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना है। इन परिस्थितियों में समिति के समक्ष सुझाव दिया गया है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के मूल उद्देश्यों की पूर्ति उक्त माडल में व्यक्तिगत इकाईयों की स्थापना कर भी की जा सकती है क्योंकि उक्त माडल, माड्यूलर प्रकृति का है तथा इसे 10 घनमी0 क्षमता के गुणात्मक अनुपात से किसी भी क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने इसके कियान्वयन की किया विधि के बारे में जानकारी चाहिए। इस सम्बन्ध में ''बायो इनर्जी मिशन सेल'' द्वारा अवगत कराया गया कि यूनीसेफ के सहयोग से कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु स्वरोजगारोन्मुख युवाओं को प्रशिक्षण का कार्यक्रम शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रशिक्षित युवा ही अपने जनपदों में संबंधित बायोगैस उत्पादन इकाईयों की स्थापना करेंग । साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर युवाओं को इसके निर्माण का आन जॉब प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे। प्रमुख सचिव, नियोजन ने उक्त दोनों प्रकार के माडलों की लागत तथा उसके बैंकेविलिटी के प्रस्ताव तैयार करने का सुझाव दिया। उसके अनुसार इस प्रकार का प्रयास इसे ग्रामीण औद्योगिक इकाई के रूप में विकसित करने में सहयोगी होगा। कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा इस प्रशिक्षण को प्रारम्भ करने की सहमति प्रदान करते हुए पायलट आधार पर प्रत्येक जनपद में उक्त प्रकार की 10 व्यक्तिगत इकाईयों की स्थापना करने तथा नाबार्ड एवं बैकों से संपर्क कर इसका बैंकेवुल माडल विकसित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

(कार्यवाहीः पंचायती राज विभाग, यूनीसेफ तथा बायो इनर्जी मिशन सेल)

एजेण्डा सं0–5

उच्च गुणवत्ता के जेट्रोफा/करंजा रोपण सामग्री एवं अन्य इनपुट की सुचारू आपूर्ति हेतु बायोटेक पार्क के तकनीकी निर्देशन में विकेन्द्रीकृत नर्सरियों/कम्पोस्टिंग इकाईयों की स्थापना पर विचार विमर्श।

बायोटेक पार्क, लखनऊ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अवगत कराया कि उनके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री उत्पादन हेतु नर्सरियों की लाइसेन्सिंग की प्रकिया में कतिपय परेशानियों का सामना संबंधित किसानों द्वारा करना पड़ता है जिसे सरल बनाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अवगत कराया बायोटेक पार्क, लखनऊ के सहयोग से क्षेत्रीय स्तर पर कुछ नर्सरियॉ स्थापित भी की गयी हैं। बायो डीजल एसोसिएशन के प्रेसिडेन्ट द्वारा इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि मै0 एस0जी0 बायो फयूल्स, भुवनेश्वर द्वारा उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री का परीक्षण झांसी जनपद में एक किसान के खेत पर किया गया है जिसके परिणाम अच्छे आए हैं। बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसीडेन्ट

की उक्त प्रस्तुतीकरण का संज्ञान लेते हुए ''बायोडीजल वेल्यू चेन परियोजना'' की शर्तो के अधीन आवश्यक कार्यवाही के निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा प्रदान किए गए।

(कार्यवाहीः बायोटेक पार्क, बायोडीजल एसोसिएशन आफ इंडिया,बायो इनर्जी मिशन सेल, बी0आर0ई0एल0 तथा इण्डियन आयॅल– रूचि बायोफयूल एल0एल0पी0)

एजेण्डा सं0–6

स्टेट बायोफयूल पॉलिसी की संरचना

कार्यवाहीः

समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बायोफयूल पॉलिसी की घोषणा के उपरान्त देश के कई राज्यों द्वारा भी राज्य बायोफयूल पॉलिसी घोषित कर दी गयी जिससे संबंधित राज्यों में बायो इनर्जी सेक्टर के समयबद्व विकास का रास्ता स्पष्ट हो गया है । बायोडीजल एसोसिएशन आफ इंडिया के प्रेसीडेन्ट ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बायोडीजल उत्पादन की परियोजना के यू0पी0माडल की अक्सर चर्चा होती है। कई राज्यों ने तो अपनी परियोजनओं में तदनुसार संशोधन भी किया है। वर्तमान में उ0प्र0 को भी अपनी बायोफ्यूल पालिसी शीघ्र घोषित कर दिए जाने पर विचार करना चाहिए। पेट्रोलियम कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने भी इसकी अपरिहार्यता से समिति को अवगत कराया। इस कम में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने बायो इनर्जी मिशन सेल को स्टेट बायोफ्यूल पॉलिसी शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए ।

(कार्यवाहीः बायो इनर्जी मिशन सेल)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

आर0 पी0 सिंह
प्रमुख सचिव, नियोजन।

सं0 15/बा0इ0मि0से0/2012 दिनांकः– 18/04/2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
3. सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव
4. समस्त प्रतिभागीगण।

18/4/12

(पी0 एस0 ओझा)
राज्य समन्वयक एवं सदस्य सचिव।